



उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001  
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806  
Web-www.uppbpb.gov.in

पत्रांक: पीआरपीबी-चार-16(21)/2024

दिनांक: सितम्बर 06, 2024

## विज्ञापित

### उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन

उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन वर्ष 2024 की रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध कराये गये 03 पदों के अधियाचन एवं पुलिस महानिदेशक लाजिस्टिक, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी पात्रता सूची के आधार पर "उत्तर प्रदेश घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2016 के प्रावधान के अनुसार चयन की कार्यवाही की जा रही है। संगत सेवा नियमावली में प्रावधान है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के लिये अभ्यर्थियों को 3.2 कि०मी० की दौड़ 35 मिनट पूरा करना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 03.10.2024 को प्रातः 07:00 बजे 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा से सम्बन्धित पात्र कर्मी/मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस, जिनकी सूची निम्नवत् है, के प्रवेश पत्र दिनांक 09.09.2024 को सायं 05:00 बजे से बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in> पर दिये गये लिंक पर क्लिक कर पीएनओ एवं जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं :-

क्र०सं०	पी०एन०ओ०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान नियुक्ति
01	832761025	श्री प्रेमशंकर मिश्र	श्री राम प्रसाद मिश्र	पुलिस कमिश्नरेट, प्रयागराज
02	842411848	श्री राम निवास शर्मा	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	बरेली
03	842510747	श्री जसवंत सिंह	श्री रूपराम सिंह	मेरठ
04	842760735	श्री राज जनम राम	श्री रामधनी	गोरखपुर
05	842463445	श्री राम आसरे यादव	श्री चन्द्रदेव यादव	गोरखपुर
06	852510391	श्री प्रवेन्द्र सिंह	श्री इन्सपेक्टर सिंह	मेरठ

2- यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी। कर्मी पहचान हेतु अपना मूल आधार/पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र में से कोई एक पहचान पत्र साथ लायेंगे। उक्त पात्र कर्मी प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर इनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4.9.2024

अपर सचिव, प्रोन्नति  
उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।